

संकल्प

विषय :- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वित्त पदाधिकारी का कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर के अधीन स्वीकृत पदों का योजना मद से गैर योजना मद में स्थानान्तरण।

नदी घाटी परियोजना विभाग के अधीन कुल चौदह लेखा कार्यालयों का सृजन पूर्ववर्ती बिहार राज्य में किया गया था। झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत इस राज्य की भौगोलिक परिधि में स्थित छः लेखा कार्यालय, जल संसाधन विभाग, राँची के अधीन कार्यरत थे।

2. इन लेखा कार्यालयों को निम्नांकित कार्यों का दायित्व दिया गया था:-

- (क) आवश्यकतानुसार नदी घाटी परियोजना के वित्तीय मामलों में परामर्श देना।
- (ख) नदी घाटी परियोजना विभाग के अधीन प्रमण्डलों के कार्य मद में कार्य से संबंधित लेखाओं का संकलन, समेकित लेखा का संग्रहण एवं महालेखाकार को प्रेषण।
- (ग) ग्री चेक प्रणाली के अन्तर्गत नदी घाटी परियोजना कार्यालयों के लेखाओं की आंतरिक जाँच एवं लेखा निरीक्षण से संबंधित कार्य।

3. नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत अधिकांश परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं। इसी संदर्भ में जल संसाधन विभाग के संकल्प सं.-2987 दिनांक-18.06.2015 के द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत कार्यरत लेखा कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। जिसके अनुसार वित्त पदाधिकारी का कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर को छोड़कर शेष पाँच कार्यालयों को समाप्त कर कार्यरत कर्मियों को अन्यत्र समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

4. सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना एक वृहद परियोजना है, जो लम्बे अर्से से चली आ रही है एवं इसके भविष्य में भी बने रहने की सम्भावना है। अतः प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना के अधीन वित्त पदाधिकारी का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर के अधीन स्वीकृत वित्त पदाधिकारी -01, अधीक्षक-01 वरीय अंकेक्षक-02, उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)-04, निम्न वर्गीय लिपिक(लेखा)-02, टंकक-02, दफ्तरी -01, कोषरक्षक-01, अनुसेवक-02 एवं आशुटंकक-01 को यथावत् रखा गया है।

वित्त पदाधिकारी का कार्यालय सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर का दायित्व निम्नवत् है :-

- (क) आवश्यकतानुसार सुवर्णरेखा परियोजना के वित्तीय मामलों में परामर्श देना।
 - (ख) सुवर्णरेखा परियोजना के अधीन प्रमण्डलों के कार्य मद में कार्य संबंधित लेखाओं का संकलन, समेकित लेखा का संग्रहण एवं महालेखाकार का प्रेषण।
 - (ग) प्रमण्डलीय कार्यालयों के लेखा कार्यों का निरीक्षण।
5. वित्त पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर कार्यालय का सृजन सिंचाई विभाग बिहार पटना द्वारा वित्त विभाग की सहमति से पत्रांक एस.ई.आर. 466/65/3611 दिनांक

Subender Singh

18.05.1983 द्वारा विश्व बैंक की सहायता से सुवर्णरेखा परियोजना के प्रादुर्भाव के साथ किया गया था। इस कार्यालय का उनसे सम्बद्ध पदों के साथ प्रति वर्ष अवधि विस्तार किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2001-02 में झारखण्ड राज्यादेश सं.-1112 दिनांक-01.03.2002 द्वारा कार्यालय का अवधि विस्तार किया गया एवं इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष अवधि विस्तार करते हुए आदेश सं.-843 दिनांक 26.02.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है।

6. अधिक समय से चल रहे कार्यालय को योजना मद में रखना औचित्य विहीन है। भविष्य में भी इन पदों के बने रहने की संभवना है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

- I. वित्त पदाधिकारी का कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर के अधीन स्वीकृत वित्त पदाधिकारी-01, अधीक्षक-01, वरीय अंकेक्षक-02, उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)-04-, निम्न वर्गीय लिपिक (लेखा)-02, टंकक-02, दफ्तरी-01, कोषरक्षक-01, अनुसेवक-02 एवं आशुटंकक-01 के पदों को योजना मद से गैर योजना मद मांग संख्या-49 जल संसाधन विभाग, मुख्यशीर्ष-2701 मध्यम सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई (वाणिज्यिक), लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना में स्थानान्तरित किया जाता है।
- II. उक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष 2015-16 का वेतन भुगतान गैर योजना मद मांग संख्या-49, जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई (वाणिज्यिक) लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत किया जायेगा।
- III. इस परियोजना के लिए राशि की निकासी जिला कोषागार, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम से किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी मुद्रित प्रतियाँ सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/आयुक्त/उपायुक्त को प्रेषित की जाए एवं इसकी 300 प्रतियाँ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

हृ०। -

सरकार के प्रधान सचिव

राँची, दिनांक :-

ज्ञापांक :- 10/स्था. (विविध)-08-01/2015-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हृ०। -

सरकार के प्रधान सचिव

Subender 8/8/15

ज्ञापांक :- 10/स्था. (विविध)-08-01/2015-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०।-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 10/स्था. (विविध)-08-01/2015-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०।-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 10/स्था. (विविध)-08-01/2015- 4786

राँची, दिनांक :- 8-9-15

प्रतिलिपि :- प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर/विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/वित्त पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम/अवर सचिव (प्रभारी बजट शाखा), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subedar

सरकार के प्रधान सचिव